

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35()/Kharif-II/2080/Revised/1446 / 418/21.07.2025

दिनांक: 26/06/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/BAR/0009678

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5576 दिनांक 21.11.2023 एवं क्रमांक 93-113 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
बाड़मेर	234	Other Than SMF	75%-100%	2230460
रामसर	1212	Other Than SMF	75%-100%	19652583
योग	1446			21883043

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[06]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

क्रमांक 418-28

दिनांक 21.07.2025

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद..... बाड़मेर
6. अति. जिला कलेक्टर..... बाड़मेर
7. तहसीलदार रामसर
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी..... बाड़मेर
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर..... बाड़मेर
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर